

निर्णय बड़जलास डॉ. गौरव सैनी आई0ए0एस0 जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

प्रकरण सं0 04/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा – उदयकलां, गंगापुर सिटी (राज0)

----- प्रार्थी

श्री हंसराज मीणा पुत्र श्री किरोड़ी लाल मीणा


-----अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002

—:आदेश:—

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की और से श्री कल्याण सहाय कुमावत ,एडवोकेट द्वारा The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of the Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत पेश कर ऋणी/सहऋणी/जमानती से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण ने दिनांक 25/01/2012 को प्रार्थी बैंक से राशि 11,50,000 (ग्यारह लाख पचास हजार) रू0 व दिनांक 09/02/2018 को प्रार्थी बैंक से राशि 12,00,000 (बारह लाख) रू0 इस प्रकार कुल 23,50,000 (तेईस लाख पचास हजार) रू0 की ऋण सुविधा ली थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के एवज में अप्रार्थीगण ने श्री हंसराज मीणा पुत्र श्री किरोड़ी लाल मीणा के नाम की अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं0 65 , वार्ड नं0 37, रीको आवासीय कॉलोनी सालोदा गंगापुर सिटी ,जिसका कुल क्षेत्रफल 138.88 वर्ग गज है। जिसकी चतुः सीमाएं— पूर्व में रास्ता, उत्तर में भूमि, पश्चिम में प्लॉट नं0 69, दक्षिण में प्लॉट नं0 64 है, जो उप पंजीयक गंगापुर सिटी कार्यालय में पंजीकृत है, को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि व ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराने के कारण अप्रार्थीगण /ऋणी के खाता को दिनांक 23/08/2023 को N.P.A. (अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक को दिनांक 01/09/2023 तक राशि 13,63,311 (तेरह लाख तिरेसठ हजार तीन सौ ग्यारह) रू0 व इसके पश्चात् के ब्याज व अन्य खर्च ,लागत इत्यादि अप्रार्थीगण पर बकाया निकलता है जिसको अप्रार्थीगण के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा राशि व देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिये पुलिस की सहायता उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की गई है।

सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनने का प्रावधान नहीं है। अतः हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी बैंक को अप्रार्थीगण द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर दिनांक 23/08/2023 को व्यतिक्रम डिफॉल्ट होने पर एन0पी0ए0 घोषित किया गया है। अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 01/09/2023 तक कुल राशि 13,63,311 (तेरह लाख तिरेसठ हजार तीन सौ ग्यारह) रू0 व इसके पश्चात् के ब्याज एवं अन्य खर्च लागत इत्यादि अप्रार्थीगण पर बकाया निकलता है जिसे भुगतान करने के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक से लिये गये ऋण का भुगतान नहीं किये जाने, तत्पश्चात् प्रार्थी बैंक द्वारा बकाया मांग राशि की प्राप्ति हेतु नियमों के परिपेक्ष्य में समुचित कार्यवाही करने के पश्चात् भी मांग राशि का भुगतान अप्रार्थीगण द्वारा नहीं किये जाने पर प्रार्थी



27/2/24

जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राज0)

बैंक द्वारा जरिये प्राधिकृत अधिकारी वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा की 14 के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा गिरवीकृत परिसम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को सुपुर्द करने की मांग की गई है। सरफेसी एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट की संतुष्टि उपरांत जमानत स्वरूप बंधक रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक को कब्जे में दिलवाने में सहयोग करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा समस्त विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति की गई है।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। ऋण की अदायगी हेतु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक में श्री हंसराज मीणा पुत्र श्री किरोड़ी लाल मीणा के नाम की अचल सम्पत्ति आवासीय प्लॉट नं0 65 , वार्ड नं0 37, रीको आवासीय कॉलोनी सालोदा गंगापुर सिटी ,जिसका कुल क्षेत्रफल 138.88 वर्ग गज है। जिसकी चतुः सीमाएं— पूर्व में रास्ता, उत्तर में भूमि, पश्चिम में प्लॉट नं0 69, दक्षिण में प्लॉट नं0 64 है, जो उप पंजीयक गंगापुर सिटी कार्यालय में पंजीकृत है,पर शांति पूर्वक मौके पर भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दिलवाये जाने हेतु पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी को आदेशित किया जाता है। प्रार्थी बैंक इस बाबत पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी से सम्पर्क कर प्रार्थी बैंक में गिरवीकृत सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की कार्यवाही करे। तहसीलदार, गंगापुर सिटी को भौतिक कब्जा हस्तांतरण के दौरान की अवधि के लिए मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि वे तत्समय कानून व्यवस्था सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, गंगापुर सिटी व तहसीलदार, गंगापुर सिटी को भिजवायी जावे। सरफेसी अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को सुनने का प्रावधान नहीं है, किन्तु प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय की प्रति अप्रार्थीगण को भी भिजवायी जावे जिससे वह ऋणदाता से सम्पर्क स्थापित कर ऋण चुकता कर प्रकरण का निस्तारण करा सके। इसी क्रम में अप्रार्थीगण को इस आदेश से असंतुष्ट होने की दशा में सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु एक माह की अवधि प्रदान की जाती है जिसके पश्चात् यह निर्णय प्रभावी हो जावेगा व प्रार्थी बैंक द्वारा अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी। पत्रावली फैसल शुभार होकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/09/24 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. गौरव सैनी)
जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी
जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी (राज०)